आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
21/03/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 70 / 2003** **बाचो उरांव बनाम् सुधुवा पाहन व अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील–23 / 1997–98 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत् वाद में अधिकतर तिथियों पर उभय पक्ष अनुपस्थित रहे है। वर्ष–2013 में विपक्षियों को जारी नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। दिनांक–21.07.2015 को इस वाद में दिनांक–06.10.2015 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गयी। जिसके पश्चात् लगातार आवेदक न्यायालय से अनुपस्थित रहे। दिनांक–19.02.2018 को आवेदक की तरफ से हाजिरी दी गयी तथा विपक्षियों को पुनः नोटिस प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् से ही उभय पक्ष न्यायालय में अनुपस्थित है। दिनांक–14.02.2022, 24.02.2022, 03.03.2022 तथा 10.03.2022 को आवेदकों को सुनवाई हेतु मौका भी दिया जाता रहा किन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अंततः उपलब्ध कागजातों के आधार पर आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी महादेव पाहन के पक्ष में एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–31 / 1994–95 में भूमि वापसी का आदेश पारित हुआ। यह भूमि मौजा–खटंगा, खाता नम्बर–115, खेसरा नम्बर–868, कांके अंचल में अवस्थित है। मुख्यतः इस वाद में भूमि पर हक एवं अधिकार का विषय सन्निहित है। यह भूमि भूईंहारी भूमि है तथा एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–276 / 1992–93 में प्रतिवादी के पिता–महादेव पाहन के पक्ष में भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया था। आवेदक का दावा है कि वे प्रश्नगत् भूमि के असली हकदार है। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि बकास्त भूईंहारी पहनाई भूमि है तथा बंधना पाहन लगान पानेवाला दर्ज है। आवेदकों के द्वारा मूल भूमि वापसी वाद–272 / 1992–93 में पारित आदेश को चुनौती नहीं दी गयी। एक ही भूमि पर दो बार भू–वापसी का वाद संचालित नहीं हो सकता था, जिस कारण द्वितीय वाद को विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी इस आदेश को सम्पुष्ट किया गया। आवेदकों का दावा है कि उक्त भूमि वापसी वाद संख्या–276 एक षडयंत्र की कार्रवाई थी।	

अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	अतः उक्त आदेश को आधार बनाया जाना उचित नहीं है। आवेदकों की तरफ से इस कथित षडंयत्रकारी आदेश के विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं की गयी। वाद का मुख्य विषय मूल पाहन के वारिसों के हक एवं अधिकार से संबंधित है, जिस पर राजस्व न्यायालय द्वारा विचार किया जाना संभव नहीं है। आवेदकों की तरफ से ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि प्रश्नगत् भूमि पर उनका अधिकार साबित होता हो। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त 21/2/22 प्रमण्डलीय आयुक्त 21/2/22	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.09.05 13:15:45 +05:30
Location: 192.168.1.40